

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर  
पत्रांक 1845/14-1 रामपुर दिनांक 20 मार्च 2017

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
मुरादाबाद क्षेत्र, उ०प्र० मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर में मै० इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० बरेली द्वारा ग्राम पटवई तह० शाहबाद के गाटा संख्या-450 रामपुर- शाहबाद (एम०डी०आर०संख्या-53) किमी० 14.531 दायी पटरी पर पेट्रोल/डीज़ल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.0759 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2322/22-2 दिनांक 20.02.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित

- 1:-संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक अंकित कर दी गयी है।
- 2:-संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभावित क्षेत्रफल 0.0790 हे० अंकित कर दिया गया है।
- 3:-Site Inspection report में प्रभावित क्षेत्रफल 0.0790 हे० अंकित कर दिया गया है।
- 4:-पार्ट-1 हिन्दी के बिन्दु संख्या-1 में क्षेत्रफल 0.0790 हे० अंकित कर दिया गया है।
- 5:-आनलाइन पार्ट -2 के बिन्दु संख्या-2,3,4,5 को सही कर दिया गया है।
- 6:-पार्ट-2 बिन्दु संख्या-14 में कुल हस्तान्तरित वन क्षेत्र 114.9883 हे० अंकित कर दिया गया है।
- 7:-पार्ट-2 (हिन्दी) के बिन्दु संख्या-7 (iv) में 0.0790 में अंकित कर दिया गया है।
- 8:-पार्ट-2 बिन्दु संख्या-12 (iii) सही है।
- 9:-टोपो शीट पर अंकित टाइटल में प्रभावित क्षेत्रफल 0.0790 अंकित कर दिया गया है।
- 10:-आनलाइन पार्ट-1 पर अथोराइज्ड अधिकारी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।
- 11:-FRA प्रमाण पत्र पर प्रभावित क्षेत्रफल 0.0790 हे० संशोधित कर दिया गया है।
- 12:-क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम सही हैं।

(गजेन्द्र सिंह)  
प्रभागीय निदेशक,  
सा०वा०प्रभाग, रामपुर।